उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय , 10, माल एवेन्यू, लखनऊ।

परिपत्र सं0–सी0-14 /वसूली/ओटीएस/2018–19 दिनांक– 03-5-18

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

प्रधान कार्यालय के बैंक परिपत्र सं0 सी–02/वसूली/ओटीएस/2018–19 दि0 05.04.18 द्वारा बैंक में "एक मुश्त समाधान योजना–2018" लागू करते हुए योजना के कियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये गये है। उक्त योजना के कियान्वयन के दौराना प्रदेश के कुछ शाखाओं द्वारा योजना के अन्तर्गत आच्छादन के सम्बन्ध में कतिपय भ्रान्तियों/समस्याओं के परिपेक्ष्य में मार्गदर्शन मॉगा गया है। शाखा स्तर से प्राप्त भ्रन्तियों/समस्याओं के निराकरण के सन्दर्भ में प्र0का0 स्तर पर गठित कमेटी के साथ हुए विचार–विमर्श एवं की गई संस्तुतियों के सम्बन्ध में विचारोपरान्त किये गये समाधान का अनुपालनार्थ विवरण अधोलिखित है–

बिन्दु सं0 3– पर **सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 95 'क'/वसूली प्रमाण पत्र के अन्तर्गत संग्रह शुल्क वसूल करने के वर्तमान में क्या नियम है/या पूर्व प्रचलित नियमों में कोई संशोधन हुए है।** के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकरी दिये जाने की अपेक्षा।	*आयुक्त एवं निबन्धक कार्यालय से संग्रह शुल्क के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है। निर्देश प्राप्त होने तक पूर्व की भॉति संग्रह शुल्क लिया जायेगा।*
जिन कृषकों पर उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 95 क/वसूली प्रमण पत्र के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, उक्त के सन्दर्भ में मा0 उच्चन्यायालय के दिये गये निर्देष के आलोक में आयुक्त एवं सचिव श्रीमती लीना चौहरी के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को निर्देश जारी किये गये है कि राजस्व की भॉति वसूली के मामलों में बिना गिरफ्तारी व कुर्की किये गये वसूल की गयी धनराशि पर संग्रह शुल्क देय नहीं होगा(परिपत्र सं0 259/2–संग्रह 23सी/2005टी.सी. दि0 15.06.2017) उक्त के सम्बन्ध में मौखिक व लिखित रूप से बैंक प्रशा0 को अवगत कराया गया परन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। चूकि परिपत्र सं0 02/वसूली/ओटीएस/2018–18 दि0 05.04.18 के द्वारा दिये गये निर्देश में पृष्ठ सं0(02) के अन्तिम पैराग्राफ एवं पृष्ठ सं0 3 के बिन्दु 3 के अन्तिम लाईन में कहा गया है कि प्रचलित नियमों के अनुरूप संग्रह शुल्क वसूल किया जायेगा। उपरोक्त स्थिति संग्रह शुल्क लेने में भ्रम पेदा कर रही है। उक्त के सन्दर्भ में स्पष्ट निर्देश दें, कि संग्रह शुल्क लिया जायेगा या नहीं।	
1–श्रेणी–3 में कृषक जिनकी समस्त किश्तें देय हो चुकी हो"। समस्त किश्तें 30 जून 2017 तक देय हो चुकी हो अथवा OTS लागू होने की तिथि तक समस्त किश्तें देय हो चुकी हो।	*1– समस्त किश्तें देय होने की तिथि 30 जून 17 मानी जाय।*
परिपत्र सं0 सी–02/ओ0टी0एस में प्रथम पेज पर श्रेणी 3 में लिखा गया हे कि जिनके ऋण की समस्त किश्तें देय हो चुकी हों, जबकि ग्रामीण आवास तथा बागवानी में 15 वर्ष का ऋण वितरण होता है तथा श्रेणी–2 में भी कुछ खातों की समस्त किश्तें देय नहीं होगी जिससे कुछ कृषक 31.03.2012 के पूर्व ऋण लेने के बावजूद भी लाभ से वंचित हो जायेगें।	

परिपत्रानुसार अवगत कराया है कि श्रेणी–02 में यदि कृषक ने अप्रैल–1997 से मार्च 2007 के मध्य ऋण लिया है और वह जून को 2017 को बाकीदार है तो पात्र है। श्रेणी–3 के अनुसार कृषक ने अप्रैल 2007 से मार्च 2012 के मध्य ऋण लिया है एवं 30.06.17 को बकायेदार है तथा उसकी समस्त किस्तें देय हो चुकी हो तब पात्रता होगी। **बैंक में ग्रामीण आवास में 15 वर्षो के लिए आवास योजना में वितरित ऋण केसों में यदि किसी कृषक ने जनवरी 2017 में ऋण लिया है और वह जून, 2007 में बाकीदार है एवम् उसके ऋण की अन्तिम किस्त 2022 में पूर्ण हो रही है, तब भी वह पात्र होगा, उसको श्रेणी–02 के अनुसार लाभ प्राप्त होगा।** **इसी प्रकार कृषक ने जनवरी' 2011 में ग्रामीण आवास योजना में ऋण प्राप्त किया हे और वह 30 जून 2017 को बाकीदार है एवं उसके ऋण की अन्तिम किस्त–2026 को पूर्ण हो रही है तो वह श्रेणी–03 के अनुसार पात्र नहीं है क्योकि परिपत्र में लिखा है। इस श्रेणी में पात्रता हेतु समस्त किस्ते देय हो जानी चाहिए।** ग्रामीण आवास के अतिरिक्त अल्प सिंचाई में पम्पसेट हेतु जो ऋण जनवरी–2011 में वितरित है उनकी अन्तिम किश्त अप्रैल–2018 में पूर्ण हो रही है उनको भी श्रेणी–03 का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। श्रेणी–03 में ऋण अवधि पूर्ण होने के प्रतिबन्ध को शिथिल/सुधार करने की कृपा करें ताकि अधिक से अधिक कृषकों को श्रेणी–03 में भी लाभ दिया जा सके।	
2–श्रेणी 2 में ''ऋण की समस्त किश्तें देय हो चुकी हो'' शर्त लागू होगी अथवा नहीं। क्योंकि ग्रामीण आवास में समस्त किश्तें देय नहीं हो पाई है।	*परिपत्रानुसार कार्यवाही की जाय।*
3– जिन प्रकरणों में ऋण वितरण की प्रथम किश्त 31 मार्च 2007 से व 31 मार्च 2012 से पहले हो व द्वितीय किश्त 1 अप्रैल 2007 व 1 अप्रैल 2012 के बाद हो के प्रकरण में कौन सी तिथि के अनुसार पात्र/अपात्र समाझा जाए।	*ऋण वितरण की अन्तिम किश्त निर्गत होने की तिथि, जिसके आधार पर ड्राइंग लिमिट का निर्धारण किया गया है, को आधार मानते हुए ही श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।*
तीनों श्रेणियों में यदि प्रथम किश्त 31.03.1997, 31.03.2007, 31.03.2012 के अन्तग्रत तथा द्वितीय किश्त 31.03.1997, 31.03.2007, 31.03.2012, के पश्चात किया गया है तो उसे किस श्रेणी में रखा जायेगा।	
1–बैंक में कुछ योजनाओं में ऋण वितरण दो या अधिक किश्तों में हुआ है जिसमें प्रथम किश्त की तिथि तथा द्वितीय किश्त की तिथि अलग–अलग श्रेणियों में है। अतः सम्पूर्ण ऋण को किस श्रेणी में रखा जाय। शाखा द्वारा प्रथम भुगतान की तिथि को आधार मानकर कार्यवाही की जा रही है।	

2––ऐसे बाकीदार जिनको प्रथम किस्त 31.3.97 को द्वितीय किस्त 1 अप्रैल, 1997 के बाद हुआ हो तथा ऐसे बाकीदार जिनका प्रथम किस्त 31.3.2007 को एवं द्वितीय किस्त 1 अप्रैल, 2007 के बाद हो ऐसे बाकीदारों को किस श्रेणी में रखा जाये। कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें।	
2–ऋण माफी/ऋण राहत योजना 2008 का आंशिक लाभ पाने वाले ऋण प्रकरण में किस धनराशि को कृषक द्वारा जमा माना जाय। शाखा द्वारा केवल उसी धनराशि को जमा माना जा रहा है जो कृषक द्वारा अपना अंश 75 प्रति0 जमा किया है। तथा जो भारत सरकार से बैंक को प्राप्त हुआ है। बैंक द्वारा वहन अथवा रिबेट को जमा नहीं माना जा रहा है।	*जो धनराशि वसूल की गई है उसी के आधार पर ब्याज में छूट दी जायेगी न कि बैंक द्वारा वहन की गई धनराशि(Born BY bank) को सम्मिलित करते हुए, क्योंकि उक्त धनराशि अभी भी बैंक की बैंलेस सीट में अद्यतन असमायोजित पड़ी हुई है। अतः इस राशि को वसूल की गई राशि में आगणित नहीं किया जाय।*
भारत सरकार की ऋण माफी योजना–2008 के प्रावधान के तहत यदि कोई धनराशि(भारत सरकार की माफी, बैंक द्वारा माफ किया गया ब्याज, रिबेट) कृषक के खाते में क्रेडिट की गयी है तो उसे मूलधन, ब्याज में समायोजित किया जायेगा या नही।	
1–ऐसे बाकीदार जिनका ऋण 1 अप्रैल, 2007 से 31.3.2012 के मध्य वितरित हुआ हो। तथा ड्राइंग लिमिट 31.03.17 तक हो जो कि 30.06.17 में बकाया हो गया हो। ऐसे बाकीदारों को श्रेणी–3 में लिया जाय अथवा नहीं कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें।	***परिपत्रानुसार कार्यवाही की जाय।***
शाखा बरेली के ऋणी सदस्य श्री हरद्वारी लाल पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम परधौली पोस्ट वोहित जिला बरेली को वितरित ट्रैक्टर हेतु ऋण हेतु ऋण प्रकरण में (ऋण वितरण तिथि 2.01.96 से धनराषि 150000/–) फर्म द्वारा कृषक को ट्रैक्टर उपलब्ध नही कराये जाने के कारण दिनॉक 07.08.99 को फर्म के विरूद्ध कोतवाली सदर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के फलस्वरूप उपरोक्त प्रकरण में सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) में वर्ष मई 2000 से विचाराधीन था। उपरोक्त वाद में बैंक द्वारा तत्समय मई 2000 में अवशेष धनराशि 95479/– की व्याज सहित धनराशि की मांग की गई थी। अपर सिविल जज (सी0डि0) द्वारा दिनॉक 09.01.12 द्वारा निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी दो माह के भी 95479/– रू0 वादी को वाद दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करें। उक्त निर्णय के विरूद्ध फर्म के प्रोपराइटर श्री प्रकाश नरायन अग्रवाल द्वारा न्यायालय अपर जिला जज बरेली में अपील दायर की गई। उक्त अपील में अपर जिला जज द्वारा यह निर्णय दिया गया कि दिनॉक 09.01.12 द्वारा दिया गया निर्णय बिल्कुल सही है तथा अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। उक्त निर्णय के अनुपालन में फर्म प्रोपराइटर द्वारा निर्णय का	*ओटीएसयोजना बकायेदार/ऋणी सदस्यों के लिए है न कि फर्म के लिए। अतएव उक्त ऋण योजना के अन्तर्गत शामिल नही किया जा सकता।*